न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 117/2011 एल.आर.एक्ट

रामरक्षपाल पुत्र चुड़ामणि जाति ब्राह्मण निवासी धमेरा तहसील देहरा जिला कांगड़ा एवं सुभाषना, प्रेमलता, पुष्पलता पुत्रीगण चुड़ामणि बहैसियत मु0आम रामरक्षपाल।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजेन्द्रपाल
2. राजकुमार

पुत्रगण चुड़ामणि जाति ब्राह्मण निवासीगण धमेरा तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

3. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत, सामरदा (नासेरा) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलांट
श्री धन्नेसिंह – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 08.02.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय दिनांक 16.12.2011 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– तहसील खाजूवाला के चक 10 के.जे.डी. में मुरब्बा नं. 122/62 में किला नं. 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड चुड़ामणि वल्द ताराचन्द के नाम से पोंग बांध विस्थापित के आधार पर आवंटन शुदा है। चुड़ामणि ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा बहक रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 दिनांक 10.12.1987 को तहरीर तकमील करवाई थी। श्री चुड़ामणि का देहावसान दिनांक 22.4.95 हो होने पर ग्राम पंचायत सामरदा द्वारा उक्त कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं.146 दिनांक 20.1.2009 मृतक चुड़ामणि के समस्त वारिसान के हक में स्वीकृत किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने इस इंतकाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के समक्ष प्रथम अपील सं. 8/11 अनवान राजेन्द्रपाल वगै. बनाम रामरक्षपाल वगै. प्रस्तुत कर उक्त विरासतन इंतकाल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अवगत करवाया कि उक्त कृषि भूमि की बाबत स्व.चुड़ामणि द्वारा रेस्पो.सं. 1 व 2 राजेन्द्रपाल व राजकुमार पुत्रगण चुड़ामणि के हक में वसीयतनामा तहरीर तकमील

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हो रखा है। ग्राम पंचायत सामरदा द्वारा उन्हें बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर विरासतन इंतकाल दर्ज किया है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला ने रेस्पो0सं. 1 व 2 राजेन्द्रपाल व राजकुमार की प्रथम अपील न्यायहित में सही होना मानते हुए विरासतन इंतकाल सं. 146 खारिज कर प्रकरण वापिस तहसीलदार, खाजूवाला को सभी पक्षों को सुनकर व साक्ष्य आदि लेकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री जयचन्दलाल सारस्वत ने अपनी बहस में कथन किया है कि रकबा वाके चक 10 के.जे.डी. के मु.नं. 122/62 किला नं. 1 ता 25 तादादी 24.10 बीघा कमाण्ड अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के पिता स्व.चुड़ामणि वल्द ताराचन्द के नाम से पौंगबांध विस्थापित के आधार पर आवंटन किया हुआ हैं। चुड़ामणि की मृत्यु दिनांक 22.4.95 को हो गयी, जिसका विरासतन इंतकाल सं. 146 दिनांक 20.1.2009 को सरपंच, ग्राम पंचायत, सामरदा द्वारा स्वीकार कर रिकार्ड राजस्व में सभी जायज वारिसान के नाम दर्ज है तथा मौके पर अपीलांट रकबा काश्त कर रहा है, जिसे रेस्पो. सं. 1 व 2 ने फर्जी वसीयत दिनांक 10.12.87 बिना पंजीबद्ध गैर खातेदारी भूमि की बना कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ दिनांक 16.12.11 को स्वीकार कर विरासतन इंतकाल सं. 146 को निरस्त किया है, जो आदेश मनमाना व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मैन्डेटरी प्रावधानों को नहीं अपनाया है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई थी, जिसके लिये निर्णय में मियाद का बिन्दु ही निर्णित नहीं किया है, जो आवश्यक था। इसलिए मैन्डेटरी प्रावधानों के खिलाफ पारित जैर अपील आदेश स्वतः शून्य एवं निरस्तनीय है। वसीयत गैरखातेदारी कृषि भूमि की है, और पंजीबद्ध भी नहीं है, वसीयत को प्रोबेट भी नहीं करवाया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपनी लिखित बहस में यह भी अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा प्रथम अपील में चक 9 के.जे.डी. के मुरब्बा नं. 122/62 में 24.10 बीघा खातेदारी भूमि पिता चुड़ामणि के नाम रही है। वसीयत में चक 9 के.जे.डी. का रकबा बताया है जबकि आवंटन एवं विरासतन इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में चक 10 के.जे.डी. दर्ज है अतः उक्त रकबा पर वसीयत में दर्ज भूमि से कोई संबंध नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विरासतन इंतकाल पुनः बहाल करने के आदेश फरमावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 श्री धन्नेसिंह ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में पक्षकार राजेन्द्रपाल, राजकुमार, रामरक्षपाल, प्रेमलता, सुभाषना, पुष्पलता, स्टेट व सरपंच थे परन्तु अब इस द्वितीय अपील में पुष्पलता, प्रेमलता, सुभाषना को पक्षकार नहीं बनाया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है। इसलिए अपील चल नहीं सकती। इसके संबंध में आरआरडी 1989 (192) एवं आरआरडी 1968 (751) को अवलोकनीय बतलाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सही रूप से रिमाण्ड किया था, क्योंकि विरासतन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी संबंधितों को ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस संबंध में आरआरटी 2015(1) को अवलोकनीय बतलाया। राजस्थान में वसीयत के लिये प्रोबेट लेना कानूनन आवश्यक है परन्तु यह कानून सिर्फ मेट्रोसिटीज के लिये है। अपीलांट ने वसीयत को आज दिन तक चैलेंज नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया है।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील खाजूवाला के चक 10 के. जे.डी. में मुरब्बा नं. 122/62 में किला नं. 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड चुड़ामणि वल्द ताराचन्द के नाम से पोंग बांध विस्थापित की हैसियत से आवंटन थी। चुड़ामणि उक्त भूमि की बाबत एक वसीयतनामा बहक रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 दिनांक 10.12.1987 को तहरीर तकमील करवाई थी। श्री चुड़ामणि का देहावसान दिनांक 22.4.95 हो होने पर ग्राम पंचायत सामरदा द्वारा उक्त कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं. 146 दिनांक 20.1.2009 मृतक चुड़ामणि के समस्त वारिसान के हक में स्वीकृत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वसीयती इंतकाल दर्ज करने से पूर्व मृतक के समस्त वारिसान को विधिवत् रूप से सुनवाई का अवसर नहीं दिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने इस इंतकाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के समक्ष प्रथम अपील सं. 8/11 अनवान राजेन्द्रपाल वगै. बनाम रामरक्षपाल वगै. प्रस्तुत कर उक्त विरासतन इंतकाल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अवगत करवाया कि उक्त कृषि भूमि की बाबत स्व. चुड़ामणि द्वारा रेस्पो.सं. 1 व 2 राजेन्द्रपाल व राजकुमार पुत्रगण चुड़ामणि के हक में वसीयतनामा तहरीर तकमील हो रखा है। ग्राम पंचायत सामरदा द्वारा उन्हें बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर विरासतन इंतकाल दर्ज किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला ने रेस्पो0सं. 1 व 2 राजेन्द्रपाल व राजकुमार की प्रथम अपील न्यायहित में सही होना मानते हुए विरासतन इंतकाल सं. 146 खारिज कर प्रकरण वापिस तहसीलदार, खाजूवाला को सभी पक्षों को सुनकर व साक्ष्य आदि लेकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया, जो उचित प्रतीत

माननीय आयुक्त
बीकानेर

होता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने लिखित बहस में यह आपत्ति दर्ज करवाई है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में पक्षकार राजेन्द्रपाल, राजकुमार, रामरक्षपाल, प्रेमलता, सुभाषना, पुष्पलता, स्टेट व सरपंच थे परन्तु अब इस द्वितीय अपील में प्रेमलता, सुभाषना, पुष्पलता को पक्षकार ही नहीं बनाया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 16.12.2011 उचित है। अतः न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 16.12.2011 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर